छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

———0———

छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2012–17 के लिए दिये गये प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन ।

संविधान के 73वें संशोधन के अनुच्छेद 243–झ (1) के खण्ड (ग) तथा 243–म (1) के खण्ड (ग) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 एवं यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग खण्ड (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन दिनांक 23.07.2011 को वर्ष 2011–16 की अवधि के लिये राज्य की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा निम्नांकित विषयों/सिद्धांतों पर सिफारिश देने के लिये किया गया था:–

(1) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमों के राज्य तथा पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच वितरण जो संविधान के अधीन उनके बीच विभाजित किए जा सकें तथा समस्त स्तरों पर ऐसे आगमों के उनके अपने–अपने अंशों का उक्त निकायों के बीच आबंटन,

(2) करों, शुल्कों, पथकारों तथा फीसों का निर्धारण जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को समनुदेशित या विनियोजित की जा सकेंगी,

(3) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान,

(4) पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के आवश्यक उपायों सहित उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु एवं लागतों की वसूली (प्रयोक्ता–प्रभारों) के लिए आवश्यक उपाय,

2. द्वितीय राज्य वित्त आयोग को 1 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई, 2012 तक उपलब्ध कराना अपेक्षित था, किन्तु आयोग के अनुरोध पर प्रथम वित्त आयोग की अनुशंसाओं को 31 मार्च 2012 तक बढ़ाने तथा द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को 2011–16 से बदलकर 2012–17 किये जाने के साथ ही आयोग के कार्यकाल में 31 मार्च, 2013 तक के लिए वृद्धि की गई । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अनुशंसाओं को प्रभावी करने के उद्देश्य से अंतरिम प्रतिवेदन नवंबर, 2012 में राज्य शासन को सौंपा गया एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा मार्च, 2013 में राज्य शासन के कृत कार्यवाही प्रतिवेदन को पारित करने के उपरान्त इसे वर्ष 2012–13 के लिये लागू किया गया ।

आयोग द्वारा 31 मार्च 2013 को अपनी पूर्ण अनुशंसाओं का प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा गया ।

4. द्वितीय राज्य वित्त आयोग की **"अनुशंसाओं का सारांश"** प्रतिवेदन के प्रारंभ में पृष्ठ (i) से (xxiii) पर दर्शाया गया है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का संक्षिप्त विवरण **<u>परिशिष्ट–1</u>** पर अवलोकनीय है ।

वित्त मंत्री
भारसाधक सदस्य

नया रायपुर, दिनांक जुलाई, 2013

क्र.	कंडिका क्रमांक	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा	राज्य शासन का निर्णय
01	3.21	पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिये अलग बनाई गई बजट पुस्तकों में स्थानीय निकायों को समनुदेशित (सौंपा गया) राजस्व, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अन्तरण, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिये अनुदान, शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित कोष आदि के रूप में दी गई राशि और उनमें व्यय की गई राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए ।	राज्य आयोजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं हेतु पृथक् सेगमेंट कोड एवं आयोजनेत्तर योजनाओं के नाम में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार वर्गीकरण 2014–15 के बजट में दर्शित किया जाएगा। इसी प्रकार विभागों द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कोष को भी और स्पष्ट रूप में दर्शाया जाएगा ।
02	5.5	राज्य सरकार को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के वर्तमान क्षेत्राधिकारों का पुनरीक्षण एवं उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित करने पर विचार करना चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
03	6.8 एवं 6.10	क्षेत्रफल, जनसंख्या, संसाधन, कर्मचारी, सामर्थ्य तथा स्थानीय आवश्यकताओं में विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों एवं शेष ग्राम पंचायतों को विभिन्न विभागों द्वारा कृत्यों के अंतरण संबंधी पुनरीक्षित प्रस्ताव बनाने हेतु एक समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
04	7.4	प्रथम वित्त आयोग ने सम्पत्ति कर के लिये पूंजीगत मूल्य के बजाय वर्गीकृत कुर्सी (plinth) क्षेत्रफल को आधार बनाये जाने की जो अनुशंसा की थी, उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
05	7.4	सम्पत्ति कर के दो घटक शीर्ष होने चाहिये । प्रथम, भवनों पर कुर्सी क्षेत्रफल और द्वितीय, खाली गैर कृषि भूमि पर पूंजीगत मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर का आरोपण करना चाहिये ।	खाली गैर–कृषि भूमि पर पूंजीगत व्यय मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर के आरोपण की आयोग की अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
06	7.4	वर्गीकृत कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर प्रत्येक सम्पत्ति पर कर देयता निश्चित करने तथा ग्राम पंचायतों में मांग पंजी बनाने का काम कार्यरत आन्तरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारियों को सौंपा जाए। इन अधिकारियों द्वारा 25 अथवा अधिक ग्राम पंचायतों में यह कार्य एक वर्ष में पूरा करने हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समुचित कार्य योजना बनानी चाहिए।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
07	7.4	पंचायत अधिनियम में प्रावधानित अनिवार्य करों को आरोपित न करने और/अथवा ऐसे करों की वसूली नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अनसार कार्यवाही किया जाना चाहिये।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
08	7.4 एवं 7.5	ऐसी समस्त निजी सम्पत्तियों, भूमि और भवन जिनका उपयोग शैक्षणिक प्रयोजनो के लिए होता है तथा उसके लिए छात्रों से फीस ली जाती है, उन्हें सम्पत्ति कर के दायरे में लाया जाना चाहिये ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
09	7.6	धार्मिक, शैक्षणिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये उपयोगी भवनों को सम्पत्ति कर से छूट तभी दी जाए, जब ऐसे भवनों की आय का उपयोग पूर्णतः ऐसे ही प्रयोजनों के लिये हो रहा हो। साथ ही सम्पत्ति कर के अलावा प्रकाश कर सहित सेवा करों में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
10	7.4	सम्पत्ति कर की बेहतर वसूली हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाए । प्रति वर्ष 75 प्रतिशत या अधिक सम्पत्ति कर वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को वसूली राशि का समतुल्य अनुदान दिया जाए। न्यूनतम 75 प्रतिशत बकाया सम्पत्ति कर वसूलने वाली ग्राम पंचायत को भी समतुल्य अनुदान देना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । वसूल राशि के समतुल्य अनुदान हेतु गत वर्ष की वास्तविक वसूली को आधार माना जाएगा ।

11	7.4	ग्राम पंचायतों के कर संबंधी प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कियान्वयन का अध्ययन हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन एक निश्चित समय में प्रस्तुत करना चाहिए और इसके साथ पंचायत अधिनियम में आवश्यक संशोधन भी यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
12	7.5	निजी शौचालयों पर लगाया जाने वाला कर समाप्त किया जाए। ग्रामीणों को स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करने हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
13	7.8	बाजार शुल्क की दरों का वास्तविक निर्धारण करने हेतु पंचायतों के बाजार में बिकने वाली चीजों को अधिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाये तथा श्रेणीवार अलग-अलग दरें निर्धारित की जावें। इसकी वसूली का काम ठेके पर दिया जाए।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । वसूली का काम पंचायत द्वारा स्वयं अथवा महिला स्वसहायता समूह को दिया जाएगा ।
14	7.9	पंचायतों के बाजार में पशुओं की बिकी के पंजीयन की वर्तमान् न्यूनतम व अधिकतम दरें लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थीं। इन दरों को पुनरीक्षित किया जाना चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
15	7.10	प्रथम राज्य वित्त आयोग के सुझाव अनुसार सभी चलचित्र प्रदर्शनों पर कर लगाने और वसूलने का काम जनपद पंचायतों को तथा गैर चलचित्र प्रदर्शनों, खेल-तमाशों पर कर लगाने का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने हेतु संबंधित अधिनियम और नियमों में आवश्यक संशोधन कर इसे प्रभावशील किया जाए ।	ग्राम पंचायत क्षेत्रों में गैर चलचित्र प्रदर्शनों, खेल-तमाशों पर कर लगाने का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा। जनपद पंचायतों को वर्तमान व्यवस्था अनुसार मनोरंजन कर अनुदान दिया जाना जारी रखा जाएगा।
16	7.18	वर्तमान भूमि विकास कर के स्थान पर विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि पर "स्थानीय विकास कर" लगाया जाए। इसके लिए कृषि भूमि को सिंचित, अर्धसिंचित व सूखी भूमि में वर्गीकृत किया जाए, तथा प्रत्येक श्रेणी की जमीन की प्रति एकड़ न्यूनतम दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
17	7.31	ग्राम पंचायतों के करों की दरें दशकों पूर्व निर्धारित की गई थी। अब समय आ गया है, इन्हें पुनरीक्षित किया जाये। नियमों में न्यूनतम और अधिकतम दरों में वृद्धि की जानी चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
18	7.31	वैकल्पिक करों/शुल्क लगाने के लिये ग्राम पंचायतों को जनपद पंचायतों से, और जनपद पंचायतों को जिला पंचायत से अनुमोदन लेने की पाबंदी नहीं होनी चाहिए । सम्बन्धित अधिनियम में यह प्रावधान समाप्त कर दिया जाना उपयुक्त होगा ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
19	7.31	ग्राम पंचायतों की स्वयं की भूमि को पट्टे पर देकर अतिरिक्त आय प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक नियम बनाने चाहिए । इसके साथ ही ग्रामों में उपलब्ध पड़त भूमि को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । इस संबंध में पूर्व का अनुभव ठीक नहीं है। अतः जमीन पट्टे पर देना उचित नहीं है।
20	7.31	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सुझाव अनुसार मछली पालन वाले तालाबों के पट्टे की प्रारंम्भिक राशि में वृद्धि की जाये तथा तालाबों की औसत उत्पादकता के आधार पर पट्टे की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाये । यदि इन तालाबों की नीलामी की अनुमति दी जाये तो ये पंचायतों के लिये अधिक राजस्व के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं । यदि यह सम्भव नहीं हो तो विभाग द्वारा प्रस्तावित पट्टे की राशि में वृद्धि किया जाना उचित होगा ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
21	7.31	नगर पालिकाओं के समान ग्राम पंचायतों के अनिवार्य एवं वैकल्पिक करों का युक्तियुक्तकरण किया जाए। प्रकाश कर, सामान्य जल प्रदाय कर, मल वाहन कर (सार्वजनिक शौचालयों तथा मल उठाव पर वैकल्पिक कर) को जोड़कर एक निश्चित प्रतिशत को सम्पत्ति कर का भाग बनाया जाए। संचालक, पंचायत की अध्यक्षता मे राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

		मुद्दों में यह मुददा भी जोड़ा जाए ।	
22	7.31	विभिन्न प्रकार के करों की मांग निर्धारित करने, मांग पंजी बनाने, वसूली की प्रकिया तथा कर प्राप्ति का ठीक से हिसाब–किताब रखने के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश जारी किये जाएं ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
23	7.31	आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण सहायकों तथा आन्तरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारियों को ग्राम पंचायतों की मांग पंजी बनाने तथा कर एवं कर की वसूली में मदद का दायित्व दिया जाए।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
24	7.31	कर वसूली का काम महिलाओं के स्व–सहायता समूहों के माध्यम से कराया जायें । इसके बदले में वसूली राशि का एक भाग उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाये । राजनांदगांव जैसे जिलों में, जहां स्व–सहायता समूह सकिय और सशक्त हैं, प्रयोग के आधार पर प्रारंभ की जाये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
25	7.31	ग्राम पंचायतों द्वारा करों की वसूली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । आन्तरिक प्रतिवेदन में भी यह अनुशंसा है कि ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे अधिक कर संग्रह करने पर उसे अधिक वसूल की गई राशि के समतुल्य प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाये। यह प्रोत्साहन योजना अधिनिर्णय अवधि (अवार्ड पीरियड) के सभी पांच वर्षो में लागू की जाए । हमारी यह भी अनुशंसा है कि *पंचायत सचिव या पटेल अथवा अधिक राजस्व वसूल करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी पुरस्कृत किया जाये ।*	वर्ष 2012–13 के लिये अंतरिम प्रतिवेदन में इस अनुशंसा को मान्य किया गया था। अधिनिर्णय अवधि के सभी पांच वर्षों के लिये भी इसे लागू किया जाएगा। आयोग की दूसरी अनुशसा को भी मान्य किया गया है ।
26	7.31	सभी ग्राम पंचायतों में अपने भवनों, तालाबों तथा भूमि आदि परिसम्पत्तियों की सूची रखना तथा प्रत्येक तीन वर्ष में उसे अद्यतन किया जाना अनिवार्य किया जाये। इन परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिये ग्राम पंचायतों को अपने वार्षिक बजट में समुचित प्रावधान करना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
27	8.4	राज्य सरकार उन जिलों में, जहां प्रमुख खनिज नहीं पाये जाते है, खनिकर्म निरीक्षकों की सेवायें जिला पंचायतों के अधीन किये जाने पर विचार करे, जिससे उन जिलों में गौण खनिजों के उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रायल्टी की समुचित उगाही सुनिश्चित की जा सके । यदि किसी ग्राम पंचायत से पट्टे पर दिये गये खदान से गौण खनिज के अधिक उत्खनन अथवा अवैध उत्खनन की रिपोर्ट मिलती है, तो संबंधित ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर ऐसे मामलों में तेजी से कार्यवाही की जानी चाहिए ।	संबंधित विभागों से परामर्श कर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
28	8.4	रेत उत्खनन पर फिर से रायल्टी लगाने पर विचार किया जाना उचित होगा तथा इस शीर्ष मे प्राप्त शुद्ध आगम संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जाये।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
29	8.4	कृषि उपज मंडियों द्वारा लगाये गये मंडी कर का कुछ भाग उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत को दिया जाये । यदि आवश्यक हो, तो मंडी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
30	8.4	अनुसूचित क्षेत्र मे लघु वनोपज से प्राप्त आय का कुछ भाग पेसा (PESA) के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । लघु वनोपज से प्राप्त आय सीधे संग्राहकों को प्राप्त हो रही है।
31	8.7	राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए प्रवर्तित की गई चार योजनाएं तथा एक जनपद पंचायत के लिए योजना का क्षेत्र कई मामलों में एक समान है । इन चारों योजनाओं को एक या अधिक से अधिक दो योजनाओं में समाहित कर दिया जाये । एक योजना ग्रामीण अधोसंरचना के लिए और दूसरी गांवों में बुनियादी सेवा प्रदाय के लिए होनी चाहिए ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । वर्तमान व्यवस्था यथावत् रखी जाए।

32	8.8	सरकार को पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता तथा नाली निकासी, सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश व्यवस्था, आंतरिक सड़कों का अनुरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी उन बुनियादी/प्राथमिक सेवाओं को चिन्हित करना चाहिए। मूलभूत अनुदान के दिशा निर्देश का पुनरीक्षण किया जाये और उन प्रयोजनों का वरीयता कम निर्धारित किया जाये जिनके लिये इस कोष का उपयोग किया जा सकता है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
33	8.10	ग्राम पंचायतों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के लिये वित्तीय प्रावधान राज्य वित्त आयोग के अन्तरण का हिस्सा नहीं होना चाहिये । यह इससे अलग होना चाहिये । राज्य वित्त आयोग के अन्तरण का उपयोग इन योजनाओं के लिये नहीं होना चाहिये ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । राज्य प्रवर्तित योजनाओं के द्वारा ग्राम पंचायतों को उनकी मांग/आवश्यकता के अनुसार ही अधोसंरचना/मूलभूत विकास कार्यों के लिये राशि दी जाती है ।
34	8.11	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन ग्राम पंचायतों को देय अनुदान की राशि दो समान किश्तों में, जहां तक संभव हो, अप्रैल और अक्टूबर माह में दी जानी चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । पंचायत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को यह राशि 2 किश्तों में दी जा रही है ।
35	8.14	राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के लिये ही उद्दिष्ट केन्द्रीय योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का पूरा लाभ उठाना चाहिये । सौभाग्यवश इस योजना के कोष से लाभ उठाने के लिये हम सभी शर्तों को पूरा करते है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
36	8.16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल–जल योजना के लिये दिये जाने वाले अनुदान को जनशक्ति और सामग्रियों की लागत में हो रही वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में प्रति दो वर्षो के अन्तराल में पुनरीक्षित करके बढ़ाया जाये । इस अनुदान की राशि का आबंटन साल में दो बार अर्थात अप्रैल और अक्टूबर के माह में किया जाना चाहिये।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
37	8.16	ग्राम पंचायतों को अपनी सीमित वित्त व्यवस्था में से कोई राशि विभिन्न कार्यक्रमों, समारोहों में खर्च नहीं करना चाहिये। जन समस्या निवारण शिविर, ग्राम सम्पर्क अभियान (ग्राम सुराज) आदि जैसे शासन प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को धनराशि आबंटित करने के विषय में सरकार को विचार करना चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
38	8.16	छोटे उद्योगों का सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन कोष केवल स्थानीय ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिये एवं बड़े उद्योगों के कोष से समीपवर्ती ग्राम पंचायतों को भी हिस्सा दिया जाए। अपने इस कोष की योजना बनाने में ग्राम पंचायतों से सलाह लेना उद्योगों के लिये अनिवार्य होना चाहिए । राज्य सरकार को अपनी सी.एस.आर. नीति में इन सुझावों को शामिल करना चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
39	8.16	ग्राम पंचायतों को प्रदूषणकारी उद्योगों (जैसे स्टोन क्रशरों) पर अर्थ दण्ड लगाने और इससे प्राप्त धन राशि का व्यय उद्योगों द्वारा की गई क्षति को सुधारने हेतु करने का कानूनी अधिकार दिया जाये । भारी भरकम गाड़ियों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कों की क्षति के कारण मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी जाये अथवा उसके बदले में ग्राम पंचायतों को अनुरक्षण के लिये आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराई जाये।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
40	8.17	प्रमुख खनिजों पर मिलने वाली रायल्टी का कुछ अंश राज्य सरकार उन ग्राम पंचायतो को देने पर विचार करें जो उत्खनन कार्य से प्रभावित है।	संबंधित विभागों से परामर्श कर इस संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
41	8.20	एजेन्सी कृत्यों के लिये कमीशन की दर में वृद्धि की जाये। प्रथम राज्य वित्त आयोग ने एजेन्सी कमीशन की दर न्यूनतम 3 प्रतिशत किये जाने की अनुशंसा की थी । हम इसका समर्थन करते है। यह मामला	केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के कियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को एजेंसी कमीशन के रूप में योजना की 3 प्रतिशत राशि दिये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

		भारत सरकार के सामने उठाया जाना चाहिये ।	
42	8.23	ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्त्रोतों से कोष की प्राप्ति होती है, जिनमें से कई कोषों का उद्देश्य एक समान होता है। इनका सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये इन कोषों का अभिमुखीकरण जरूरी है और यह कार्य जिला स्तर पर ही उचित ढंग से हो सकता है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
43	9.6 एवं 10.12	ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को चिन्हित कर इन सुविधाओं के स्तर और समय सीमा भी निर्धारित होना चाहिये । इस प्रयोजन हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाये तथा मूलभूत सेवाओं के लिये प्रावधानित राशि का उपयोग इन सेवाओं पर ही किया जायें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
44	10.3	ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित एवं उचित रूप से लेखे ग्राम सभा को आसानी से उपलब्ध हों । ग्राम पंचायतों की आय और व्यय की स्थिति का समय–समय पर पुनरीक्षण हो तथा इसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिससे वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
45	10.7	स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग पंचायती राज संस्थाओं विशेषकर ग्राम पंचायतों, जिनकी संख्या बहुत है तथा नगरीय स्थानीय निकायों का अंकेक्षण वर्तमान में स्वीकृत एवं उपलब्ध सीमित अमले से करने में समर्थ नहीं है। अतएव् इस संस्था के स्वीकृत विभागीय ढांचे का पुनरीक्षण करके समयबद्ध तरीके से इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । समयबद्ध तरीके से पंचायतों एवं नगरीय निकायों का ऑडिट कराया जाएगा।
46	10.7	अंकेक्षण के पुराने बकाया मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये जिसमें आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण अधिकारी सांविधिक अंकेक्षकों की सहायता करें । इसके लिये स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियो की सेवायें ली जा सकती है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
47	10.7	राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में पंचायतों के अंकेक्षण के लिए अलग से एक अनुभाग बनाये जाने पर विचार किया जाये।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
48	10.7	पंचायत अंकेक्षकों के संवर्ग का स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय में संविलयन किया जाना उचित होगा ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
49	10.7	पंचायत कोष के घपलों अथवा गबन आदि के कारण पंचायत कर्मचारियों या कृत्यकारियों की ओर पंचायतों की जो कानून सम्मत देनदारी बकाया है, उसकी वसूली शीघ्रता से की जानी चाहिये। इस प्रकार वसूली का पूर्ण अधिकार पंचायत अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी को होना चाहिये ताकि यह अधिक प्रभावी हो ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
50	10.7	राज्य सरकार स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को अंकेक्षण कार्य मे तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रदान करने हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से सकियता पूर्वक पहल करें तथा उनसे स्थानीय निकायों का 'टेस्ट आडिट' भी कराया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । महालेखाकार, छत्तीसगढ़ एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से अनुरोध किया जाएगा।
51	10.9	ग्राम पंचायतों में शीघ्र ही एक लेखापाल सह कम्प्यूटर आपरेटर, एक सहायक तथा बड़ी पंचायतों में एक तकनीकी कर्मचारी की आवश्यकता है, जो सेवा के अनुरक्षण आदि का देखभाल करें । इसका एक विकल्प यह भी हो सकता है कि कई ग्राम पंचायतों के समूह के लिये एक योग्यता प्राप्त तकनीकी सहायक नियुक्त किया जाये जो संबंधित जनपद पंचायत के अधीन रहे । इस प्रयोजन के लिये राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजना का लाभ लिया जा सकता है ।	वर्ष 2012–13 के लिये आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन में इस अनुशंसा को मान्य कर "राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक–सह– डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की सहमति दी जा चुकी है।

52	10.10	सामुदायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास संस्थान और खण्ड स्तरीय संस्थाओं को प्रशिक्षण अधोसंरचना की दृष्टि से मजबूत बनाया जाए। जिला पंचायतों को केवल तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण सामग्री आदि प्रयोजनों के लिए निचले स्तर के प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए 'स्त्रोत केन्द्र' होना चाहिए। प्रशिक्षकों के लिये विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान हो, जिससे प्रशिक्षण देने के लिये सक्षम अधिकारी उपलब्ध हो सके।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
53	10.11	वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतों को उनकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, विशिष्टता एवं संसाधन आधार पर ध्यान दिये बिना सांविधिक एवं अभिकर्ता कार्यो के संपादन के लिए एवं राजस्व उगाही की क्षमता के दृष्टि से एक बराबर माना जाता है। इस समय आदिवासी क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत गैर आदिवासी क्षेत्र की पंचायत के समतुल्य मानी जाती है । ग्राम पंचायतों को कर्मचारी व्यवस्था एवं साथ ही वित्तीय एवं कृत्यों के अंतरण के लिए उनके क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा राजस्व के आधार पर दो तीन वर्गो में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
54	10.13	ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के लिए विशेष रूप से निर्धारित सभी अनुदान जिला पंचायतों को मात्र सूचना देते हुए सीधे जनपद पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना चाहिये। जनपद पंचायतें अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को उनके लिए निर्धारित अनुदान बिना किसी विलंब के वितरित कर सकती है ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
55	10.15	प्रत्येक जिले में उक्त जिले की सभी ग्राम पंचायतों के विषय में विस्तृत डाटा बैक रखा जाये तथा इसे सभी जिला पंचायतों के लिए अनिवार्य कर्तव्य बना दिया जाये। इसके लिये जिला पंचायतों को आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और धनराशि उपलब्ध कराया जायें । जिला पंचायतों को प्रदत्त राशि का उपयोग केवल इसी प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
56	11.11	नगर पंचायतों का गठन केवल दस हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, तीस हजार या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका तथा दो लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले नगर में नगर पालिक निगम का गठन होना चाहिये। वर्तमान में जिन 76 नगर पंचायतो की जनसंख्या 10 हजार से कम है उन्हें फिर से ग्राम पंचायत के रूप में वर्गीकृत किये जाने का विकल्प दिया जा सकता है। पांच जिला मुख्यालयों- बलरामपुर, बीजापुर, गरियाबंद, नारायणपुर, और सुकमा की नगर पंचायतों को जनसंख्या पर विचार किये बिना नगर पालिका परिषद के रूप में कमोन्नत किया जायें ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । जो नगर पंचायतें बन चुकी हैं, उनको वापस ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाएगा। पांच जिला मुख्यालयों की नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद् के रूप में कमोन्नत करने हेतु राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2012-13 के अंतरिम प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा को राज्य शासन द्वारा मान्य किया जा चुका है।
57	11.12	दुर्ग और भिलाई नगर पालिक निगमों को मिलाकर एक संयुक्त दुर्ग भिलाई नगर पालिक निगम बनाया जाना अधिक उपयोगी एवं उपयुक्त होगा ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
58	12.9	संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 18 कृत्य नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिये जायें तथा विभिन्न स्तरों के निकायों के लिए अमले की व्यवस्था का पुनरीक्षण किया जाये।	अंतर विभागीय मामला होने के कारण आवास एवं पर्यावरण विभाग से अभिमत लेने के उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
59	12.12	नगर पालिका / निगम आयुक्तों / मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया जाना उचित होगा . ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । साधारणतः 3 वर्ष का कार्यकाल उचित है, किन्तु अपवादात्मक परिस्थितियों में राज्य शासन 3 वर्ष के पूर्व भी स्थानांतरण कर सकता है।

60	12.14	वर्तमान नगरपालिका संवर्गों का पुनरीक्षण किया जाये तथा लेखा, राजस्व, पर्यावरण, इंजीनियरिंग तथा टाऊन प्लानिंग के नये संवर्ग बनाये जायें । मुख्य नगर पालिक अधिकारी के वर्तमान संवर्ग मे नगर पंचायतों में नियुक्ति के मामले में प्रचलित तदर्थवाद नगर निकायों के हित में नही है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
61	12.14	स्थानीय निकाय की जनसंख्या, वित्त व्यवस्था एवं कार्य क्षेत्र के आधार पर कर्मचारी व्यवस्था के प्रतिमान निर्धारित करने तथा नगरपालिका संगठन को मजबूत बनाने के समुचित उपायों का सुझाव एक निश्चित समय सीमा में देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाये । भारत सरकार (शहरी विकास मंत्रालय) द्वारा इस संबंध मे नवम्बर, 2012 में जारी किये गये मार्गदर्शी नोट की मदद ली जा सकती है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
62	12.15	नगरीय निकाय में कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य शासन को अलग से नगरीय निकाय भर्ती बोर्ड बनाने पर विचार करना चाहिए । इस हेतु आवश्यक कानून बनाया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । पृथक् भर्ती बोर्ड बनाये जाने की आवश्कता प्रतीत नहीं होती।
63	12.16	नगर पालिका कर्मचारियों की भर्ती मे पारदर्शिता के लिए सेवा भर्ती नियम बनाया जाना चाहिए और उसका परिपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
64	12.18	परियोजना के निर्माण एवं उसके कियान्वयन के मामले मे नगर निकायों को तकनीकी सहायता देने के लिए संचालक, नगर प्रशासन के कार्यालय में सम्प्रति कार्यरत तकनीकी प्रकोष्ठ को 'नगर पालिका लोक निर्माण विभाग' के रूप मे विकसित किया जाना चाहिये तथा वहां समुचित कर्मचारी व्यवस्था होनी चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
65	12.20	नगर एवं ग्राम निवेश संगठन अधिनियम का पुनरीक्षण किया जाये। नगर एवं ग्रामीण नियोजन संगठन को आवास एवं पर्यावरण विभाग से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को हस्तांतरित किया जाए । भवन निर्माण अनुमोदन की प्रकिया को सरल बनाया जाये तथा इसके लिये एकल खिड़की पद्धति प्रारम्भ की जाये।	अंतर विभागीय मामला होने के कारण आवास एवं पर्यावरण विभाग से अभिमत लेने के उपरांत कार्यवाही की जाएगी।
66	12.22	छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व नियामक आयोग का गठन शीघ्र किया जायें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । आयोग का गठन किया जा चुका है।
67		छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व नियामक आयोग के कर्तव्यों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाना चाहिये–	
(i)	14.15	छूट प्राप्त सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करके छूट के दावों का मूल्यांकन करें ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । यह नगरीय निकाय का ही दायित्व है।
(ii)	14.15	सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करके अमूल्यांकित एवं अर्ध मूल्यांकित सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर की परिधि में लायें।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । यह नगरीय निकाय का ही दायित्व है।
(iii)	14.20	सम्पत्ति कर सहित नगर पालिकाओ के समस्त अभिलेखों का समुचित रूप से रख रखाव सुनिश्चित करने के लिये समुचित व्यवस्था तंत्र विकसित करें ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । यह नगरीय निकाय का ही दायित्व है। नियामक आयोग कभी भी इन अभिलेखों को प्राप्त कर सकता है व इनका सही संधारण नहीं होने पर उचित आदेश जारी कर सकता है।
(iv)	14.21	बकाया राशि की समस्याओं का अध्ययन करके उनकी वसूली के लिये कदम उठायें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
(v)	14.24	सम्पत्ति कर का यथा शीघ्र पुनरीक्षण सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक पांच वर्षो में उसका पुनरीक्षण होता रहें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
(vi)	14.35	नगर पालिका विज्ञापन कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिये दिशा निर्देश जारी करें जिससे नगरीय निकायों को इस स्त्रोत से अधिकारिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
(vii)	14.41	दुकानों का किराया निर्धारण, उनके सामाजिक पुनरीक्षण तथा संग्रहण के लिये दिशा निर्देश जारी	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । यह नगरीय निकाय का ही दायित्व है।

		करें, और	
(viii)	14.50 एवं 14.51	ऐसे दिशा निर्देश जारी करें, जिनसे राज्य के नगरीय निकाय उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों की वसूली कर पाने में सक्षम हो सकें । इसके साथ ही वह समुन्नत एवं प्रभावी सेवा प्रदाय के लिये उपभोक्ता प्रभार के सम्यक् एवं समयबद्ध भुगतान की जरूरत के सम्बन्ध मे नगर निकायों और साथ ही नागरिकों को शिक्षित तथा जागरूक करें	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
68	14.12	राज्य में 'यूनिट एरिया' पर आधारित सम्पत्ति कर व्यवस्था लागू की जायें ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
69	14.14	नगर पालिका अधिनियम एवं नगर पालिक निगम अधिनियम में सम्पत्ति कर से छूट विषयक प्रावधानों का पुनरीक्षण कर उनका युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिये।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
70	14.25	सम्पत्ति कर की न्यूनतम वार्षिक दर नगर पंचायत क्षेत्र में रूपये 50, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में रूपये 100 तथा नगर पालिक निगम क्षेत्र मे रूपये 150 निर्धारित की जाये। इसे प्रभावशील करने के लिये नगर पालिका अधिनियमो में संशोधन किये जाने चाहिए ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
71	14.26	सम्पत्ति कर के मूल्यांकन, आरोपण और संग्रहण को बेहतर बनाने के लिये 'स्व निर्धारण' प्रणाली को समाप्त किया जाये **अथवा** स्व निर्धारण फार्म का दो माह की अवधि मे सत्यापन कराकर डिमांड नोटिस जारी किया जाये । सम्पत्ति कर अर्धवार्षिक आधार पर दो समान किश्तों में वसूल किया जाये । विलंबित भुगतान के लिये 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से दण्डात्मक ब्याज लिया जाये। सम्पत्ति कर संग्रहण की क्षमता में सुधार हेतु बैंकों, केडिट/डेबिट कार्ड के द्वारा सम्पत्ति कर भुगतान, संग्रहण हेतु आऊटसोर्सिंग की व्यवस्था, निश्चित समय में भुगतान के लिये प्रोत्साहन तथा कर संग्राहकों को प्रोत्साहन आदि कदम उठाये जाना आवश्यक है।	"स्व निर्धारण" प्रणाली को समाप्त करने संबंधी आयोग की अनुशंसा को अमान्य किया गया है। यह एक प्रगतिशील सुधार है।
72	14.31	समेकित कर के तीन घटक करों की इस समय अलग-अलग वसूली की जाती है इस पद्धति को बदलकर इन्हे जोड़कर सम्पत्ति कर का एक निश्चित प्रतिशत बना दिया जायें ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
73	14.32	प्रवेश कर का सकल आगम बिना किसी शर्तो के नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जायें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में प्रवेश कर के सकल आगम का अंतरण नगरीय प्रशासन विभाग को अनाबद्ध रूप से किया जा रहा है।
74	14.33	अधिनियमों के प्रावधान के अनुसार नगरीय निकाय एक सामान्य प्रयोजन कर के रूप में जल कर लगायें और उसे वसूल करें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
75	14.39	बाजार शुल्क की उगाही पूरी तरह बन्द कर दी जाये। यदि सम्भव नहीं हो तो इसके संग्रहण पद्धति में सुधार किया जाये तथा इस पर उचित पर्यवेक्षण हो । इसके लिये बाजार कर लगाये जाने के स्थानों और वसूली करने वालों के बारे में कम्प्यूटरीकृत विवरण रखा जायें ।	बाजार शुल्क की उगाही पूरी तरह बन्द करने की अनुशंसा को अमान्य किया गया है । बाजार कर की वसूली निगम द्वारा स्वयं अथवा महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से की जाएगी।
76	14.42	नल कनेक्शन के मामले में आयकर देने वालों और आय कर नहीं देने वालों का अन्तर समाप्त कर दिया जाये तथा सभी लोगों से यह शुल्क समान रूप से लिया जाये।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
77	14.43, 14.48, 14.50 एवं 14.51	जल शुल्क और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन शुल्क का युक्तियुक्तिकरण किया जाये जिससे कम से कम संचालन लागत की वसूली हो सके । जल शुल्क के भुगतान के मामले में जो छूट और रियायतें दी गई हैं, वे सब समाप्त की जाये । नगर निकायों को चाहिये	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

		कि वे अपनी सेवा लागत की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें ।	
78	14.54	स्टाम्प डयूटी के हस्तांतरण की प्रकिया को सरल बनाया जाये एवं समय पर हस्तांतरण की व्यवस्था की जाये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
79	14.55	वित्तीय बाजार से कर्ज लेने के लिये अपनी पात्रता प्रमाणित करने हेतु नगर निकायों को अपनी 'साख क्षमता (Credit rating) का निर्धारण कराना चाहिये।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
80	14.66	नगरीय निकायों में नियमित लेखापाल नियुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस समय दैनिक भोगी कर्मचारियों सहित जितने व्यक्ति लेखापाल का काम कर रहे है, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव सहित व्यापक प्रशिक्षण दिया जाये । नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों की आन्तरिक क्षमता एक निर्धारित अवधि में विकसित की जानी चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
81	14.67	नगरीय प्रशासन में वित्तीय जवाब देही लाने के लिए इन निकायों को निर्धारित समय सीमा में अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण करना चाहिये।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
82	14.68	राज्य सरकार कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और कम्प्यूटरीकरण के जरिये स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग को मजबूत बनाये । अंकेक्षण आपत्तियों के शीघ्र निराकरण के लिये विशेष अभियान चलाया जायें । इसमे विलम्ब होने से अंकेक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है और लोगों का विश्वास प्रभावित होता है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
83	14.70	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा निदेशक के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
84	14.71	नगरीय निकायों में 'रेसिडेंट ऑडिट' व्यवस्था को पुनः लागू किया जाना चाहिए तथा इन संस्थाओं के लेखा व्यवस्था को अधिक सक्षम व सुदृढ बनाना चाहिए ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
85	14.73	जल प्रदाय नेटवर्क की उपलब्धता के अधीन शहरी क्षेत्र के सभी गरीब परिवारों को अधिनिर्णय अवधि के दौरान ही भागीरथी नल योजना के अन्तर्गत लाने के लिये इसकी आंबटन राशि में वृद्धि किया जाना उचित होगा । इस योजना के प्रभावी कियान्वयन के लिए आवश्यक अनुश्रवण (मानिटरिंग) की व्यवस्था भी होनी चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
86	14.75	सुरक्षित तथा महिलाओं के लिये निजता और प्रतिष्ठा के अनुरूप सर्व सुलभ स्वच्छता व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए रूपये 200 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की गई है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । इस हेतु प्रथम अनुपूरक 2013–14 में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
87	14.78	नगरीय निकायों को उन वैकल्पिक करो को अवश्य लगाना चाहिये जिनकों लगाने का उन्हें अधिकार दिया गया है। इन करों को युक्तिकरण एवं तर्कसंगत बनाकर इनके माध्यम से प्रतिवर्ष रूपये 25 से 30 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक आय अर्जित की जा सकती है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
88	14.79	वृत्ति कर राजस्व प्राप्ति का एक अच्छा स्त्रोत है। राज्य सरकार यह कर अधिरोपित करने के लिये कानून बनाने पर विचार कर सकती है । इस कर का सकल आगम स्थानीय निकायो को दिया जाये । इस स्त्रोत से प्रतिवर्ष रूपये 50 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । राज्य शासन द्वारा वृत्ति कर समाप्त किया गया है, जिसे पुनः लागू किया जाना उचित नहीं होगा।
89	14.80	व्यापार अनुज्ञा शुल्क की दरें पुनरीक्षित की जायें तथा और अधिक व्यापारों को इसके अन्तर्गत लाने के लिऐ व्यापार सूची का पुनरावलोकन किया जाये । खाली पड़ी जमीन पर पूंजीगत मूल्य के आधार पर कर लगाया जायें। केवल आपरेटरों पर कर लगाया जायें। इससे प्रतिवर्ष रूपये 20 करोड़ प्राप्ति हो सकती है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

90	14.82 और 14.83	जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार एक "रिवाल्विंग फंड" गठित किया जाये और उसका वर्तमान छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसरंचना कोष में संविलियन कर दिया जाये। इस कोष हेतु 50 करोड़ रूपयों की "सीड कैपिटल" दी जाये । इसके साथ ही छत्तीसगढ़ नगरीय वित्त और अधोसरंचना विकास निगम नामक निगम का गठन किया जा सकता है, जो शहरी निकायो तथा वित्त बाजार के बीच में वित्तीय मध्यवर्ती सूत्र की भूमिका का निर्वाह करने के लिये छत्तीसगढ़ नगरीय अधोसरंचना कोष के फंड प्रबंधक/परिसम्पत्ति प्रबंधक के रूप में काम करें। इस "रिवाल्विंग फंड" की बुनियादी अन्त र्व्यवस्था आदि का निर्णय उक्त निगम द्वारा किया जाये। यह निगम नगरीय निकायों को उक्त कोश से अंशतः ऋण और अंशतः अनुदान के रूप में धन राशि प्रदान करे जैसा कि सम्प्रति अधोसरंचना विकास के लिए किया जाता है ।	प्रदेश के बजाए निकाय स्तर पर परियोजना के संचालन/संधारण कोष के गठन हेतु सहमत। छत्तीसगढ़ नगरीय वित्त और अधोसरंचना विकास निगम के गठन संबंधी अनुशंसा से असहमत। कोष के प्रबंधन का राज्य स्तर पर दायित्व राज्य शहरी विकास अभिकरण का ही होना चाहिए ।
91	14.84	नगरीय अधोसरंचना की सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिये पूंजीगत व्यय के विभिन्न माडल बनाये जाने की आवश्यकता है ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
92	14.85	नगरीय निकायों को इन दो मानदण्डों पर आधारित अतिरिक्त अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए। प्रथम, सम्पत्ति कर का 90% संग्रहण और द्वितीय लेखा की द्वि–प्रविष्टि प्रणाली का लागू किया जाना ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
93	14.86	नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा का स्तर समुन्नत करने के लिये उचित प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना उचित होगा । इस योजना के अधीन उन नगरीय निकायों को विशेष अनुदान की व्यवस्था हो जो घरों तक जल आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन, सिवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में वर्तमान स्तर से किसी एक वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि करें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
94	14.87	नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं का भी मूल्यांकन किया जाए तथा उन पर भी सेवा स्तर बैंचमार्क व्यवस्था लागू किया जाए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । चरण–बद्ध तरीके से बढ़ाना उचित तरीका है। कालांतर में नगर पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जावेगा।
95	14.88 और 17.12	नगरीय प्रशासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वार्ड और मोहल्ला समितियां गठित की जायें तथा सम्पत्ति कर के संग्रहण में वृद्धि के लिये उनके योगदान को प्रोत्साहन दिया जाए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
96	14.89	पार्षद निधि अधोसंरचना कोष के बजाए नगर पालिका बजट से दिया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
97	14.90	नगरीय निकायों को यथासमय धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए । अनुदानों में की गई कटौती का उन्हें विवरण दिया जाए । संचालक, नगरीय प्रशासन को नगरीय निकायों द्वारा उपयोग में नहीं लायी गयी राशि जो उनके पास लम्बी अवधि तक शेष रहती है, उसका नियमित अनुश्रवण (मानिटरिंग) करना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
98	14.90	प्रत्येक नगर पंचायत को अधोसंरचना और मूलभूत सेवाओं के लिए एक बार एक करोड़ और पाँच जिला मुख्यालयों के नगर पंचायतों को एक बार में एक–एक करोड़ रूपयों का अतिरिक्त अनुदान दिया जाए । यह अनुशंसा हमने अंतरिम प्रतिवेदन में भी की है ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । आयोग के वर्ष 2012–13 के अंतरिम प्रतिवेदन में इस अनुशंसा को मान्य किया गया है एवं विभाग द्वारा इसका पालन किया गया है।
99	15.5	अधिनिर्णय अवधि के दौरान आवश्यक निवेश तथा उपलब्ध संसाधनों के अंतर को, राज्य वित्त आयोग के आबंटनों, राज्य के अतिरिक्त सहायता अनुदानों तथा कर सुधार के जरिये नगरीय निकायों द्वारा जुटाई जाने वाली रूपयें 648 करोड़ की राशि से पूरा किया जाना चाहिये । ये अन्तरण और अनुदान पूंजीगत व्यय के लिये जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क आदि क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

		क्षमता संवर्धन के लिए है। नगरीय निकायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाँच वर्षो की अधिनिर्णय अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिये लागत अनुमान सहित क्षेत्रवार योजना तथा क्षमता संवर्धन बनाई जाए । वार्षिक आबंटन तदनुसार किया जाना अधिक उपयुक्त होगा ।	
100	16.13	राज्य के सभी नगरीय निकायों में अच्छी व्यवस्थाओं का प्रचार किया जाये तथा प्रस्तावित राज्य नगरीय प्रशासन तथा विकास संस्थान (S.I.U.G.D.) को इन अच्छी प्रणालियों एवं व्यवस्थाओं के अभिलेख, प्रचार प्रसार तथा नगरीय निकायों द्वारा इनके अंगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
101	17.3	नगरीय निकायों के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से ई-गवर्नेस प्रारंभ किया जाए तथा सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ई-गवर्नेस के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
102	17.4	जिला समंक (डाटा) केन्द्रों की स्थापना के लिए समय-सीमा निर्धारित हो और उनमें कार्य प्रारंभ कराया जाए । संयुक्त संचालक के कार्यालय में भी डाटा केन्द्र बनाए जाए । नगर पालिका प्रशासन संचालनालय एवं संयुक्त संचालक कार्यालय के केन्द्रों तथा जिला डाटा केन्द्रों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो अधिक उपयोगी होगा।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
103	17.7	राज्य में राज्य नगरीय प्रशासन तथा विकास संसथान की स्थापना की जानी चाहिए । राज्य सरकार द्वारा इसके अधोसंरचना विकास तथा कार्यकमों के आयोजन के लिए रूपये 50 करोड़ की राशि आबंटित किया जाना चाहिए । नगरीय निकायों के वेतन बजट के 2.5 प्रतिशत राशि क्षमता संवर्धन के लिए आबंटित की जाए । कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए सभी निर्वाचित और सरकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । भारत सरकार से राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
104	17.10	मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चधिकार समिति द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कियान्वयन की समीक्षा की जानी चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
105	17.11	राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के अनुश्रवण अभिकरणों (मानिटरिंग एजेन्सी) के प्रतिवेदन समुचित कार्यवाही के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
106	17.12	नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा वित्त व्यवस्था, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों के उपयोग, योजनाओं तथा कार्यकमों के कियान्वयन, स्तरांक (बेंचमार्क) के अनुरूप सेवा प्रदाय, शिकायत निवारण आदि के विषय में नगर पालिका के कार्य निष्पादन तथा कार्य में परिलक्षित कमियों पर त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिससे परिषदों को विकास कार्य में सहभागिता तथा आवश्यक निर्णय लेने में सरलता हो ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
107	17.15	रायपुर नगर पालिक निगम तथा दुर्ग-भिलाई के एकीकृत नगरीय निकायों में मेट्रोपॉलिटन काउन्सिल का गठन किया जाए ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । प्रदेश के प्रथम महानगर के रूप में बृहत् रायपुर का गठन उचित समय पर किया जाएगा।
108	17.17	सभी नगरीय निकाय समय-समय पर कार्य के निष्पादन, वित्त व्यवस्था तथा सेवा प्रदाय संबंधी योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण घोषित करें । ऐसा किये जाने से नागरिको में जागरूकता बढ़ती है और उनके द्वारा बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है और उनसे सुझाव भी मिल सकते है । सभी नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम नियम, 2011 में शामिल सेवाओं की वर्तमान स्थिति भी प्रकाशित करें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
109	17.19	शहरों में पड़ी खाली जमीन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक विशेष सभ्य समिति गठित	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।

		की जाये। नगरीय निकायों को चाहिये कि वे परिवर्तन शुल्क, सुधार शुल्क, प्रभाव शुल्क एवं विकास शुल्क आदि जैसे भूमि आधारित नये वित्तीय स्त्रोतों का पता लगायें, नगर नियोजन के अधीन फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मूल्य निर्धारित करे। नगर के कमजोर तथा सीमान्त वर्ग के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक भूमि से प्राप्त आय के लिये पारदर्शी और जवाबदेह योजना तैयार करें ।	
110	17.20	राज्य स्तर पर तथा बड़े शहरों में बहुप्रयोजनीय (multi-disciplinary) नगर पालिक परियोजना प्लानिंग और प्रबंधन यूनिट (M.P.P.M.U.) स्थापित की जानी चाहिए।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
111	17.21	नगरीय निकायों की अधोसंरचना परियोजनाओं तथा उनके परिचालन एवं अनुरक्षक कार्य में गुणात्मक सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावित नगर पालिका लोक निर्माण संभाग के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोग शाला स्थापित की जाये। सभी अधोसंरचना परियोजनाओं में परिचालन एवं अनुरक्षक कार्यों में गुणवत्ता प्रमाणन को सांविधिक दर्जा और महत्व दिया जाये और यदि आवश्यक हो तो इसके लिये कानून में परिवर्तन भी किया जाये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
112	17.22	नगरों में विकास के लिये बने नियम भवन उपविधियों तथा अन्य नियमों में इस प्रकार सुधार किया जाए कि भवन निर्माण की प्रकिया को समयबद्ध करने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.मॉडल) से अधोसंरचना निर्माण तथा नगरीय निकायों को नगर नियोजन से संबद्ध करने में आसानी हो ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है ।
113	17.23	यह आयोग प्रथम राज्य वित्त आयोग के सुझावों को दुहराते हुए अनुशंसा करता है कि छ.ग. सरकार द्वारा भारत सरकार के ध्यान में यह बात लायी जाये कि भविष्य में नगरीय निकायों को दिया जाने वाला आबंटन अन्य बातों के साथ-साथ अधोसंरचना की स्थिति तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्तरांकों (बेंचमार्क) को प्राप्त करने के लिए अनुमानित लागतों पर आधारित होना चाहिए । दूसरी बात यह है कि 14 वें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों के कर प्रयासों को समुचित महत्व देते हुए तेरहवें वित्त आयोग की तरह उन्हें (निकायों को) अतिरिक्त अनुदान देना चाहिए । इसके अतिरिक्त सूचना तकनीक तथा नगरीय सूचना प्रणाली सहित ई– गवर्नेस को बेहतर बनाने के लिए अनुदान भी दिया जाना चाहिए ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
114	18.8	आयोग की अनुशंसा है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए । हमने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में भी यही अनुशंसा की थी ।	अंतरिम प्रतिवेदन की अनुशंसा पर इसे वर्ष 2012–13 के लिये मान्य किया जा चुका है। अब इसे सम्पूर्ण अधिनिर्णय अवधि 2012–17 के लिये मान्य किया गया है।
115	18.10	राज्य की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आधार पर उपर्युक्त विभाजनीय पूल (राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8 प्रतिशत भाग) में पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.85 प्रतिशत और नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.15 प्रतिशत है । अधिनिर्णय अवधि के लिये राज्य सरकार के शुद्ध कर राजस्व की उक्त रूपये 5793.48 करोड़ की राशि में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः रूपये 4453.73 करोड़ तथा रूपये 1339.75 करोड़ की होगी	अंतरिम प्रतिवेदन की अनुशंसा पर इसे वर्ष 2012–13 के लिये मान्य किया जा चुका है। अब इसे सम्पूर्ण अधिनिर्णय अवधि 2012–17 के लिये मान्य किया गया है।
116	18.11	उक्त कोष में से पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि का जिले वार आबंटन जनसंख्या (मानदंड भार–60 प्रतिशत) क्षेत्रफल (20 प्रतिशत) अनु.जाति/अनु.जन. जाति जन संख्या (10 प्रतिशत) तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की संख्या (10 प्रतिशत) के आधार पर किया जायेगा।	अंतरिम प्रतिवेदन की अनुशंसा पर इसे वर्ष 2012–13 के लिये मान्य किया जा चुका है। अब इसे सम्पूर्ण अधिनिर्णय अवधि 2012–17 के लिये मान्य किया गया है।

117	18.13	पंचायतों के तीनों स्तरों के बीच जिलेवार वितरण ग्राम पंचायतों को 85 प्रतिशत, जनपद पंचायतों को 10 प्रतिशत तथा जिला पचायतों को 05 प्रतिशल के हिसाब से होगा । हमारे अंतरिम प्रतिवेदन में जनपद पंचायत का भाग 12 प्रतिशत था जिसे घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है और जिला पंचायत का भाग 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है । तदनुसार उपर्युक्त 5 वर्षो की अवधि में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों के हिस्से में कमशः रूपये 3785.68 करोड़, रूपये 458.68 करोड़ तथा रूपये 209. 37 करोड़ की राशि आयेगी ।	ग्राम पंचायतों को 90 प्रतिशत, जनपद पंचायतों को 5 प्रतिशत एवं जिला पंचायतों को 5 प्रतिशत राशि का अंतरण किया जाएगा।
118	18.15	अंतरिम प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण के लिये प्रस्तावित कुल राशि में से दो-दो लाख रूपयों की राशि ऐसा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत को दी जाए । अधिनिर्णय अवधि के शेष चार वर्षों में भी उपरोक्त ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा दो-दो लाख रूपयों का सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि बहुत कम नहीं हो।	अंतरिम प्रतिवेदन की अनुशंसा पर इसे वर्ष 2012-13 के लिये मान्य किया जा चुका है। अब इसे सम्पूर्ण अधिनिर्णय अवधि 2012-17 के लिये मान्य किया गया है।
119	18.16	आयोग की अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण राशि उन्हें ग्रामों में प्रकाश व्यवस्था एवं विस्तार करने, नलों के जरिये पेयजल आपूर्ति और उसका विस्तार करने, ग्रामीण स्वच्छता तथा ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्ति के अनुरक्षण के लिये अनाबद्ध (अनटाइड) रूप से प्रदान किया जाए । इसका उपयोग सामाजिक तथा राष्ट्रीय अभियानों के लिए भी किया जा सकता है ।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जा रही राशि वर्तमान व्यवस्थानुसार ही यथावत् दी जाए।
120	18.17	जनपद पंचायतों को आबंटित कोष का उपयोग ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता देने, तथा "पंच" स्तरीय सशक्तिकरण के लिए किया जाए । जनपद पंचायतों की परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण भी इसी कोष से किया जाए । जिला पंचायतें, जिन्हें बड़ी धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, उनके द्वारा अपने आबंटन का उपयोग (1) जिला पंचायत डाटा बैंक की स्थापना (2) परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण (3) पंचायती राज संस्थाओं के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों से सम्बधित पुस्तिकाओं के प्रकाशन और (4) ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं से जो छूट गई हैं ऐसी योजना बनाने एवं उनके लिये धनराशि की व्यवस्था करने के लिये किया जाये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
121	18,19	नगरीय निकायों के तीनों स्तरों के मध्य आबंटन निम्नलिखित आधार पर किया जाये – जनसंख्या (मानदण्ड भार 70 प्रतिशत), क्षेत्रफल (10 प्रतिशत), गन्दी बस्ती जनसंख्या (10प्रतिशत) और राजस्व प्रयास (10 प्रतिशत) । नगर पंचायतों के लिए गंदी बस्ती का आधार असंगत है, अतः उनके लिए कुल जनसंख्या को ही 80 प्रतिशत मानदण्ड भार दिया जाना प्रस्तावित है।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
122	18.19	नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित कुल राशि का 22 प्रतिशत भाग नगर पंचायतों को, राज्य की कुल जनसंख्या में उनके भाग के आधार पर दिया जायेगा ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
123	18.20	नगरीय स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित आबंटन अनाबद्ध (अनटाइड) होना चाहिए तथा इसका उपयोग वरीयतः अधोसंरचना और बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाना चाहिए । इस धनराशि का उपयोग राज्य सरकार की योजनाओं के लिए नहीं किया जाना चाहिए।	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । नगरीय प्रशासन विभाग को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जा रही राशि वर्तमान व्यवस्थानुसार ही यथावत् दी जाए।
124	18.21	पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को अनाबद्ध (अनटाइड) रूप से कोषो के हस्तांतरण	अनुशंसा को अमान्य किया गया है । पंचायत ग्रामीण विकास एवं नगरीय प्रशासन विभाग को राज्य वित्त

		का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस धनराशि का उपयोग हमारें द्वारा अनुशंसित प्रयोजनों के लिए किया जाए । राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किया जाना चाहिए।	आयोग की अनुशंसा पर दी जा रही राशि वर्तमान व्यवस्थानुसार ही यथावत् दी जाए।
125	18.23	पांच वर्षो की अधिनिर्णय अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को कुल रूपया 7,335.2 करोड़ और नगरीय स्थानीय निकायों को लगभग रूपये 6,624.60 करोड़ हस्तांतरित किये जाने का अनुमान है। इसमें अनुशंसित अंतरण और समनुदेशित (assigned) राजस्व दोनो की राशि शामिल है । अर्थात् राज्य के शहरी क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति रूपया 2231.80 और ग्रामीण क्षेत्र मे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति रूपया 748.40 की दर से कोष का हस्तांतरण होगा ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है ।
126	19.2	अगले चार वर्षो (2013–17) के दौरान अनुसूची पांच के क्षेत्रों की 4607 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्रामीण अधोसंरचना के लिए प्रति वर्ष 02--02 लाख रूपयों का सहायता अनुदान दिया जाए, क्योंकि इन गांवों में इनका नितान्त अभाव है।	अंतरिम प्रतिवेदन की अनुशंसा पर वर्ष 2012–13 के लिये इसका पालन किया जा चुका है। शेष अवधि (2013–17) के लिये अनुशंसा को मान्य किया गया है।
127	19.3	नगरीय प्रशासन और विकास संस्थान की स्थापना के लिए रूपये 50 करोड़ का एक बार सहायता अनुदान दिये जाने की अनुशंसा की गई है। यह संस्थान शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिए होगा । सहायता अनुदान की यह राशि दो वर्षो में दी जा सकती है।	नगरीय प्रशासन और विकास संस्थान की स्थापना संबंधी अनुशंसा को मान्य किया गया है । इसके लिये भारत सरकार से राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
128	19.3	राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को स्वच्छा और साफ सफाई के लिए रूपये 200 करोड़ की सहायता अनुदान दिया जाए । नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग शहरों में साफ सफाई और स्वच्छा के लिए समुचित योजना बनायें जिसमें सार्वजनिक शौचालयों, सार्वजनिक मूत्रालयों तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कमजोर वर्गो के लिए स्वच्छ शौचालयों के लिए कोष व्यवस्था भी शामिल हो ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । अधोसंरचना अनुदान मद में राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली राशि से ही इन मदों में व्यय किया जाएगा।
129	20.1	राज्य वित्त आयोग अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके आयोग बहुसदस्यीय बनाया जाये । राज्य वित्त आयोग में अर्थशास्त्र, लोक वित्त, कानून, लोक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा विकेन्द्रीयकरण जैसी विधाओं के विशेषज्ञ सदस्य लिए जायें ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । आगामी आयोग के गठन के समय इसका ध्यान रखा जाएगा।
130	20.2	केन्द्रीय वित्त आयोग की तरह राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये जाने की परम्परा डाली जाये तथा उसकी अनुशंसाओं पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाये। बारहवें वित्त आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की थी ।	राज्य शासन द्वारा आयोग की अधिकांश अनुशंसाओं को यथासंभव मान्य किया जाता है एवं राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है।
131	20.3	आगामी अधिनिर्णय अवधि प्रारंभ होने के पहले ही समय रहते राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाये । राज्य वित्त आयोग का गठन केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन के साथ तालमेल बैठा कर किया जाये जिससे उसका प्रतिवेदन केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा विचार के लिए उपलब्ध हो सके । बारहवें वित्त आयोग ने भी यह अनुशंसा की थी।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । आगामी आयोग के गठन संबंधी आवश्यक कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा समय पर की जाएगी।
132	20.4	बजट दस्तावेज के साथ प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाने वाले वित्त सचिव के स्मृति पत्र मे राज्य वित्त आयोग के अन्तरण के अंतर्गत हस्तांतरित राशि का विवरण अलग से दर्शाया जाना चाहिये ।	अनुशंसा को मान्य किया गया है । वर्ष 2014–15 के बजट में इसे वित्त सचिव के स्मृति पत्र में पृथक् से दर्शाया जाएगा।
133	18.21 एवं 20.5	वित्त विभाग में एक स्थायी राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ का गठन किया जाये, जो आयोग की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करें, उसकी प्रगति पर नजर रखे। साथ ही कियान्वयन में परिलक्षित समस्यायें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करें । शहरी प्रशासन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी इन्हीं कार्यों के लिए ऐसा ही प्रकोष्ठ बनाया जाये, जिसका	अनुशंसा को मान्य किया गया है । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति के समक्ष कियान्वयन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं इसकी नियमित समीक्षा करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत भी स्थायी वित्त आयोग प्रकोष्ठ के गठन पर विचार किया जाएगा।

		वित्त विभाग के प्रकोष्ठ से सीधा संबंध रहें । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित जो समिति तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत दिये गये कोष के उपयोग पर नजर रखती है, वह राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित राशि के उपयोग पर भी नजर रखे ।	

वित्त मंत्री

भारसाधक सदस्य

नया रायपुर, दिनांक जुलाई, 2013